

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 1355/ 121-2
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 22/09 /2021

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊ वृत्त,

उत्तराखण्ड अल्मोडा।

विषय - जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया-मनाखेत मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या-47027 / 2020)

सन्दर्भ- ऑन लाईन आपत्ति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० 1	प्रस्ताव में संलग्न विषयसूची अंकित नहीं है, पृष्ठ संख्या के अनुसार प्रेषित करें।	प्रस्ताव में विषयसूची पृष्ठ संख्या के अनुसार अंकित कर चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रस्ताव में भाग-1 भाग-2 एवं भाग-3 को तैयार कर तीन मूल प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित करें ताकि प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।	प्रस्ताव में भाग-1, भाग-2, की चार प्रति में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3	प्रस्ताव की दो प्रतियां प्रेषित की गई है जबकि प्रस्ताव तीन प्रतियों में मूल प्रति सहित प्रेषित किया जाना है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
4	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र Comparative Statement of various alignment मूल प्रति में प्रेषित किया जाना है, जबकि आपके द्वारा छायाप्रति में संलग्न किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Comparative Statement of various alignment मूल प्रति मात्र विभाग में दो ही होते है, एक प्रति वृत्तीय कार्यालय में तथा एक प्रति खण्ड में रिकार्ड हेतु रखा जाता है। अतः उक्त की रंगीन फोटो कापी की 4 प्रतियों में संलग्न की जा रही है।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-खसरा खतौनी मूल प्रति में प्रेषित की जानी है जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव में खसरा खतौनी की छायाप्रति संलग्न की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व विभाग से खसरा खतौनी की एक ही मूल प्रति खण्ड को उपलब्ध कराई जाती है, जिसे रिकार्ड हेतु रखा जाता है। अतः उक्त की रंगीन फोटो कापी की 4 प्रतियों में संलग्न की जा रही है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-28 के आमसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-28 के आमसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित कर चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-224.1 के वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-224.1 के वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित कर चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-2 के भाग 1 प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भरा जाने वाले प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं है।	क्रमांक 2 के अनुसार